कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 2635 / FP/UK/ROAD/39862/2019 देहरादूनः दिनांकः 19 मई, 2023

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–03,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद चमोली में ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। प्र0सं0– FP/UK/ROAD/39862/2019

संदर्भः– वन अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 1320(1)/X20/1(150)/2020 दिनांक 13.10.2020।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या–2717/12–1 दिनांक 10.05.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र.	अधिरोपित शर्ते	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानो पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करने हेतु यथाशोधित) जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 5291/12–1 दिनांक 18.04.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु रू0 351360.00 की धनराशि दिनांक 05.01.2022 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा के खाते में जमा करा ली गई है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशनन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0–556 एवं भारत सराकर पत्र सं0 5–3/2007/एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 644517.00 की धनराशि दिनांक 05.01.2022 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा के खाते में जमा करा ली गई है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुए धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 धनराशि में यदि बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि जमा करा दी जायेगी। **संलग्न–1**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियो प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कॉपोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक –11 भूतल सी0जी0ओ0काम्पलैम्स फेज–1 लोधी नई दिल्ली में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैक ड्राफ्ट /चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भत मे अनुपालन आख्या (जिसमे जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियो का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के आस–पास रिक्त पडे स्थानो पर वृक्षारोपण की धनराशि रू0 351360.00 एव एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 644517.00 कुल 995877.00 की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा के खाते में जमा की गयी है जमा रसीद की छायाप्रति सलग्न है। (संलग्न–2)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता

183

	के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	अभिकरण को शर्त मान्य है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखो/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0 की प्रति संलग्न की गयी है। (संलग्न–3)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
8	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्यं है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–2635 / FP/UK/ROAD/39862/2019 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या–2717/12–1 दिनांक 10.05.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

19/5/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

G20

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 2717 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, मई 10, 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– **जनपद चमोली में ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। प्र0सं0– FP/UK/ROAD/39862/2019**

सन्दर्भः– **अपर सचिव, वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0 1320(1)/x–20/1(150)/2020 दिनांक 13.10.2020**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 5291/12–1 दिनांक 18.04.2023 से अवगत कराया गया है कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, थराली ने अपनी पत्र सं0 449/36 सी0, दिनांक 13.03.2023 से सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की गई है।

क्र.	अधिरोपित शर्ते	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानो पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करने हेतु यथाशोधित) जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 5291/12–1 दिनांक 18.04.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानो पर वृक्षारोपण हेतु रू0 351360.00 की धनराशि दिनांक 05.01.2022 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा के खाते में जमा करा ली गई है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशनन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–556 एवं भारत सराकर पत्र सं0 5–3/2007/एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 644517.00 की धनराशि दिनांक 05.01.2022 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा के खाते में जमा करा ली गई है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुए धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 धनराशि में यदि बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि जमा करा दी जायेगी। **संलग्न–1**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कॉपोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक –11 भूतल सी0जी0ओ0काम्पलैम्स फेज–1 लोधी नई दिल्ली में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट /चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भत मे अनुपालन आख्या (जिसमे जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियो का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के आस–पास रिक्त पड़े स्थानो पर वृक्षारोपण की धनराशि रू0 351360.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 644517.00 कुल 995877.00 की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा के खाते में जमा की गयी है जमा रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्न–2)

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी० सं० 5558
दिनांक 18-5-23

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

सा0 अ0 (प्रभारी) चमोली
अ0 को0 को0

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,
31.05.2024
... प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता,

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखो/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0 की प्रति संलग्न की गयी है। (संलग्न–3)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्नकः– यथोपरि।

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

IAIDFFP

1/16508/2024

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 427 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जुलाई 30 /2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— जनपद चमोली में ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली की पत्र सं0 797/36 C दिनांक 31.05.2024.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में चाही गयी सूचना प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित किया गया हैः—

क्र.सं.	प्रस्ताव में चाही गयी सूचना	आख्या
1-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पन नियमानुसार वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए समाहित करते हुए यथासंभावित) जमा की जायेगी ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पन नियमानुसार वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू0 351360.00 मात्र की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 05.01.2022 से जमा की गयी है। (संलग्न—1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय न्यायलय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0 556 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5—3/2007 —एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 644517.00 मात्र की धनराशि आर0टी0जी0एस0के माध्यम से दिनांक 05.01.2022 से जमा की गयी है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगीं।	प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न—2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5—3/2007 — एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0)तथा दूसरी सभी विधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना (CAMPA) प्राधिकरण के तदर्थ निकाय खाता सं0 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक — 11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज —1 लोधी रोड नई दिल्ली — 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0 क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	शर्त मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू—वैज्ञानिकों के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
6	शर्त सं0 07 प्रस्तावक विभाग /एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम —2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेख/प्रपत्रों का उपलब्ध कराया जाना होगा।	एफ0आर0ए0 संलग्न है। (संलग्न—3)

प्रभारी-चमोली
आ०का०गैर।

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 537
पत्रावली 12-1
दिनांक 13-8-24

/16508/2024

7	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त मान्य है।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	शर्त मान्य है।

अतः आपसे अनुरोध है उक्त प्रकरण में अपने स्तर से वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Servesh Kumar
Date: 30-07-2024 16:40:02

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः— 427 12-1 / दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI
e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 795/36C दिनांक 31/05/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक सं0 602/36सी0 दिनांक 24.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तो एवं धनराशि के जमा किये जाने की सूचना सहित बिन्दुवार अनुपाल आख्या पूर्व में प्रेषित की गई थी। पुनः अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित है–

क्रम सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	दिनांक 05.01.2022 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से रू0 995877.00 की धनराशि जमा करा ली गई है। संलग्न 1 चालान)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन(सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0 556 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	दिनांक 05.01.2022 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से रू0 995877.00 की धनराशि जमा करा ली गई है। संलग्न 1 चालान)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 धनराशि में यदि बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि जमा करा दी जायेगी।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनाक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या(जिसमे जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण	प्रयोक्ता एजेसी को शर्ते मान्य है।

Scanned with OKEN Scanner

	अर्थात एन0पी0वी0 क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेसी को शर्ते मान्य है।
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों का उपलब्ध कराया जाना होगा।	एफ0आर0ए0 संलग्न है।
7	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता एजेसी को शर्ते मान्य है।
8	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	मान्य है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 3·3 प्रति

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि0
थराली चमोली

पत्रांक /36 सी0 दिनांकित / /

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0
थराली चमोली।

Scanned with OKEN Scanner

Attachement 1.6

FORM-II

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No--- Dated---29-03-2019

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.981 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Gwaldam to Center School Motor Road. in Chamoli district falls within jurisdiction of Gwaldam State village (s) in Tharali tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.981 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....to .....annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
चमोली

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Attachement 1.6 (A)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate on dated 20.03.2019 at time ...16.00 Hrs...at Chamoli in which application claiming rights in Gwaldam State area measuring 0.981 hect for the Construction of Gwaldam to Center School Motor Road. forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;................

Dated:.............

(IAS Swati S. Bhadoriya)
(District Magistrate Chamoli)
जिला अधिकारी
चमोली

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :– ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे0 सिविल, कुल 0.981 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ...थराली........

उपखण्ड ....थराली........ परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.981 हे0 (हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.981 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.981 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक ....05-03-19...... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनं अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ....परमा नन्द राम............, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ....परमानन्द राम........उपजिलाधिकारी थराली————अध्यक्ष

2– श्री ....आलोक कुमार........उप प्रभागीय वनाधिकारी————सदस्य

3– श्री ....विपिन राणा........सहायक समाज कल्याण अधिकारी–सदस्य / सचिव

4– श्री ....श्रीमती कलावती देवी........बी0डी0सी0 क्षेत्र ——ग्वालदम——सदस्य

5– श्री ....हरेन्द्र सिंह बिष्ट........बी0डी0सी0 क्षेत्र ——डुँगरोली——सदस्य

6– श्री ....बी0डी0सी0 क्षेत्र ————————सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया किग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 0.981 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

विनोद कुमार
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ... ...
तहसील
जिला चमोली

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ......थराली......................परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.981 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – थराली
जनपद – चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – थराली
जनपद – चमोली

उपजिलाधिकारी
थराली

विनोद कुमार
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ग्वालदम
तहसील
जिला चमोली

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :— ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे0 सिविल, कुल 0.981 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ग्वालदम

तहसील – थराली, जनपद – चमोली

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग हेतु (0.981 हे0 सिविल, भूमि) अर्थात कुल 0.981 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....ग्वालदम........ द्वारा दिनांक 07-12-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....ग्वालदम........ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ....
(ग्वालदम) ग्राम सचिव (चमोली)
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

Attachement 1.6 (D)

दिनांक 07.12.2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मोहन सिंह बडियारी	मोहन सिंह
2-	गंगा देवी	गंगादेवी
3-	पुष्पा देवी	Pushpa
4-	पान सिंह बडियारी	पानसिंह
5-	दयाल सिंह बडियारी	Dayal Singh
6-	सुरेन्द्र सिंह बडियारी	[illegible]
7-	इन्द्र सिंह बडियारी	[illegible]
8-	हीरा सिंह बडियारी	[illegible]
9.	चन्द्र सिंह बडियारी	[illegible]
10-	हरक सिंह बडियारी	हरकसिंह
11-	धनुली देवी	
12-	केदार सिंह नेगी	
13-	भगवती प्रसाद	Bhuwan
14-	रघुवीर सिंह शाह	
15-	दयाल राम	[illegible]

ह0/–

ग्राम प्रधान

Attachement 2.37

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे0 सिविल, कुल 0.981 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

अमीन
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
थराली (चमोली)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली, (चमोली)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 05-01-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6139862148
MoEF/SG File No.	1(150)/2020
Location.	UTTARANCHAL
Address.	TharaliChamoli
Amount(in Rs)	995877/-

Amount in Words .Nine Lakh Ninety-Five Thousand Eight Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896139862148 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through ch
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
Email: cb0371@unionbankofindia.com

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
थराली (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)